न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), कानपुर–देहात।

UPRN010021462026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–191/2026

सानू बनाम जमाल हासमी आदि

दिनांक–30.06.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व में प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी/आवेदक सानू की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण जमाल हासमी आदि व चार अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का निकाह दिनांक 16.04.2025 को महरून निशा पुत्री जमाल हासमी के साथ पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। प्रार्थी के ससुर जमाल हासमी दिनांक 24.12.2025 को समय लगभग 04.00 बजे शाम को प्रार्थी के घर आये, अपनी पुत्री व प्रार्थी से मिले, प्रार्थी कुछ समय के बाद अपनी दुकान पर चला गया, घर पर किसी के न होने का फायदा उठाकर अपनी पुत्री के सहयोग से घर पर रखा 1,00,000/ रू० नकद व प्रार्थी की पत्नी व मॉ का सम्पूर्ण जेवर दो सोने की अंगूठी, एक जोडी चाँदी की पायल, एक सोने का हार, एक मॉग का टीका, एक जोडी सोने के झुमके, एक जोडी हाथबन्द व एक जोडी कान के बुन्दे लेकर चले गये। प्रार्थी जब घर आया और अपनी पत्नी से कानो के झुमके व पायल पहने न देखकर पूछा, तो प्रार्थी की पत्नी बोली की अभी उतार कर रख दिया है कल पहन लेगी, प्रार्थी यह बात मानकर चुप हो गया, प्रार्थी ने दिनांक 25.12.2025 को अपनी पत्नी से घर में रखे रूपये माँगे तो प्रार्थी की पत्नी ने कहा कि अभी थोडी देर मे ले लेना, प्रार्थी के कई बार रूपये माँगने पर भी जब पत्नी ने रूपये नही दिये तो प्रार्थी ने स्वयं रूपये निकालने के लिये अलमारी खोली तो उसमे रूपये नही मिले व जेवरात भी नही मिला। प्रार्थी ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने बताया कि पिता जी को रूपये व जेवर की आवश्यकता थी इसलिये ले गये है तो उक्त बात प्रार्थी ने घर के सभी लोगों से बतायी तो घरवालों ने कहा कि ससुर से बात कर लो प्रार्थी ने ससुर से बात की तो वह गाली गलौज पर आमादा हो गये। दिनांक 26.12.2025 को प्रार्थी की सास व साली आयी, प्रार्थी व प्रार्थी के घरवालों का अपमान किया व प्रार्थी की पत्नी भी उनका साथ देने लगी तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर प्रार्थी की पत्नी को लेकर चली गयी और कहा कि न तो अब उनकी पुत्री आयेगी और न ही उनका जेवर व रूपया देंगे। दिनांक 12.03.2026 को समय लगभग 09:00 बजे सुबह प्रार्थी की दुकान पर प्रार्थी के ससुर जमाल हासमी, इस्लाम हासमी पुत्र जमाल हासमी व 4 अज्ञात लोग आये। प्रार्थी के पिता को गाली गलौज करने लगे गाली गलौज का विरोध करने पर प्रार्थी के पिता के साथ मारपीट की तथा दुकान की गुल्लक में रखा 13,000/ रू० निकाल कर चले गये तथा कहा कि अगर कही शिकायत की तो उसे व उसके पुत्र को जान से मार देंगे। प्रार्थी ने उक्त के संबंध में दिनांक 28.03.2026 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष सजेती, कानपुर नगर व दिनांक 08.04.2026 को पुलिस कमिश्नर, कानपुर नगर को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में दो किता प्रार्थना पत्र मय पुलिस कमिश्नर महोदय, कानपुर नगर को

प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, दो किता मूल डाक रसीद व आधारकार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदक सानू के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जाँच की गयी तो पाया गया कि आवेदक की पत्नी निशा पुत्री जमाल हासमी ने थाना महिला, जनपद फतेहपुर में मु०अ०सं०–04/2026 धारा–3/4 डी०पी० एक्ट व 352/115(2)/85 बी.एन.एस. पंजीकृत कराया हुआ है। आवेदक अपने बचाव में उक्त प्रार्थना पत्र दे रहा है। थाना हाजा पर उक्त प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ.प्र.राज्य,2001(43) ए.सी.सी., इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ यू.पी.2005(2) जे.आई.सी. 686 इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट आँफ यू.पी. एवं अन्य 2009(4) जे.आई.सी.779, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य 2008(1) ए.सी.आर. 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2005(1) ए.सी.आर.155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य 2001(42) ए.सी.सी.459(सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानन्द हरी साक्षी व अन्य 2001(सप्लीमेंट्री) ए.सी.सी.957(सुप्रीम कोर्ट)** में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 30.07.2026 को पेश हो। तदनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० निस्तारित किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर–देहात।

दिनांक–30.06.2026